न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 84/2017

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मोहनलाल पुत्र घेवरचंद
2. सुरजमल पुत्र घेवरचंद जातिगण माली निवासी सोजत सिटी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ओर से
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.04.2019.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अिपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 130/2001 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता घेवरचंद ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4284 रकबा 1.10 हैक्टर किस्म गै.मुमकिन पहाड के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखल न करने हेतु निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा पारित कर रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया। एवं अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दखलदांजी न करने बाबत पाबंद किया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजी पर निरंतर कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी गै.मु. पहाड सरकारी भूमि है। पहाड व खनिज भूमि को किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भी सूरत में न तो नियमन किया जा सकता है एवं न ही आवंटन । वादग्रस्त आराजी सोजत नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। कानूनन नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमि का नियमन आवंटन खातेदारी विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजी नगरपालिका क्षेत्र मे गै. मु.पहाड खनिज विभाग खाता में दर्ज है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में रखे बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में जिला कलक्टर पाली के समक्ष विचारणीय है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोहनलाल स्वंय पक्षकार है। वादग्रस्त आराजी का पुराना खसरा नंबर 425 है। जिसकी किस्म गै.मु. तालाब है। उक्त आराजी भूमि तालाब की पाल है। जिसका नियमन आवंटन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश एफ 3(5) राजस्व/8/दिनांक 27.06.1964 के तहत स्पष्ट आदेश है कि नगरपालिका सीमा में कोई भी अतिक्रमण नियमित नही किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी परिपत्रो एवं नियमो की अवहेलना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना में कोई तहरीर जारी नहीं की गई एवं न ही रेस्पोडेन्ट की ओर से निर्णय की पालना में म्यूटेशन भरने हेतु 2 वर्ष तक कोई आवेदन प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 16.03.2016 को निर्णय दिनांक 23.01.2014 की फोटो प्रति आवेदन प्रस्तुत कर पालना हेतु अपीलांट के समक्ष प्रस्तुत की तब अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा निर्णय की प्रति हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.03.2017, 25.07.2017, 23.08.2017 तथा 12.09. 2017 के लगातार निवेदन के पश्चात भी पत्रावली उपलब्ध नही हुई। तब माननीय जिलाधीश महोदय पाली ने इसे गंभीर मानते हुए चेतावनी स्वरूप आदेश दिनांक 10.07. 2017 को जारी करने के पश्चात 02 माह बाद मूल पत्रावली उपलब्ध हो सकी। उसके पश्चात अपीलांट को दिनांक 10.10.2017 को नकले प्रदान की गई। उक्त नकल प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट द्वारा बिना किसी विलम्ब के हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील म्याद अवधि शुमार की जावे। एंव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमन अधिनियम पर कथन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के 03 वर्ष 8 माह 19 दिन पश्चात हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। एवं उक्त विलम्ब का अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमन अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने मूल अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता घेवरचंद ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4284 रकबा 1.10 हैक्टर किस्म गै.मुमकिन पहाड के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखल न

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने हेतु निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा पारित कर रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया। एवं अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दखलदांजी न करने बाबत पाबंद किया गया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी की खरीदशुदा आराजी है। जिस पर रेस्पोडेन्ट से पूर्व खातेदारो का संवत 2010 से लगातार कब्जा व रहवास चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आराजी पर वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट ने अपनी मेहनत से कृषि योग्य बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के संबध में दस्तावेजी साक्ष्य, एवं बयानो से अपना वाद साबित किया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु का प्रश्न है तो हाजा न्यायालय में अपील सरकार की ओर से भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं तहसीलदार पद एक न्यायिक पद होने के साथ–साथ प्रशासनिक पद भी होता है। जिससे तहसीलदार को प्रशासनिक कार्यो में व्यस्तता के कारण अपील मे हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी निर्णय व डिक्री की पालना बाबत कोई तहरीर संबधित तहसीलदार को जारी नहीं की गई। जिससे अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। माननीय राजस्व मंडल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अपने विनिर्णयो में यह प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणवागुण पर मजबूत हो तो ऐसे प्रकरणो को केवल म्याद के बिन्दु पर निर्णीत किया जाना उचित नहीं है। अत हाजा न्यायालय अपीलांट के पक्ष में विनम्र मत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है। एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंदर म्याद अवधि शुमार की जाती है। अब जहां तक प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता घेवरचंद ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 90, 91, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4284 रकबा 1.10 हैक्टर किस्म गै.मुमकिन पहाड के संबध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखल न करने हेतु निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा पारित कर रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया। एवं अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दखलदांजी न करने बाबत पाबंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा। इस संबध में 2011(2) आर.आर.टी पेज नंबर 721 मे यह प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,, 1955–धारा 232 परिसीमा अधिनियम, 1963– अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रदान किये जा सकते है–काश्तकारी अधिनियम से संबधित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते है–प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते– नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मंडल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। इसके यह स्वीकृत_तथ्य है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गैर मुमकिन पहाड एवं पर्वत (चारागाह हेतु) है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का मुख्य उद्देश्य ही राजकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भूराजस्व अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 130/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2014 अपास्त की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली